राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.18(I-38)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/ 6852-169 दिनांक : 4.8.2015

— : कार्यालय आदेश :—

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 08.03.2011 के अनुसार आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत जलग्रहण समितियों के खातों के संचालन में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच को सह हस्ताक्षरकर्ता घोषित किया गया है।

राज्य में माह फरवरी, 2015 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव उपरान्त नव निर्वाचित सरपंचों द्वारा आईडब्ल्यूएमपी योजनान्तर्गत पूर्व के सरपंचों के कार्यकाल के समय में करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु जारी चैक पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण भुगतान में विलम्ब हो रहा है।

अतः जिन जलग्रहण कमेटियों में पूर्व के सरपंचों के कार्यकाल के समय करवाये गये कार्यों के भुगतान में जहां सरपंच द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जा रहे है उनके लिए जलग्रहण कमेटी के खाता संचालन में आंशिक संशोधन कर सरपंच के स्थान पर जहां अधिशाषी अभियन्ता पदस्थापित है, वहां अधिशाषी अभियन्ता एवं जहां अधिशाषी अभियन्ता पदस्थापित नहीं है, वहां परियोजना प्रबन्धक, को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश चुनाव उपरान्त नव नियुक्ति सरपंचों द्वारा कतिपय जलग्रहण परियोजनाओं में पूर्व में सरपंचों के कार्यकाल में करवाये गये कार्यों के भुगतान हेतु ही लागू होंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(अनुराग भारद्वाज)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
एसएलएनए एवं निदेशक

क्रमांक : एफ.18(I-38)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2015/ 6852-169 दिनांक : 4/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
5. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त
6. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, निदेशालय, समस्त।
9. परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त अधिशाषी अभियन्ता/पीआईए को उक्त आदेशों की प्रति उपलब्ध करवा कर आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें।
10. एसीपी, निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

निदेशक